



कार्यालय

जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह।

तृतीय तल्ला (बायों विंग) समाहरणालय भवन, पपरवरटाड, गिरिडीह-815301

ई-मेल—mdmgiridih@gmail.com

प्रेषक,

पत्रांक ७५५/

जिला शिक्षा अधीक्षक,  
गिरिडीह।

सेवा में,

प्रबंधक / अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य  
बद्री नारायण साहा, डी०ए०वी० पब्लिक स्कूल, ब्लॉक रोड,  
सिरसिया, गिरिडीह पिन नं०-815302

विषय:-

गिरिडीह, दिनांक १२/०८/२०१४  
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए ज्ञारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियमावली 2011 के नियम के अधीन एवं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) ज्ञारखण्ड, राँची के अधिसूचना ज्ञापांक 629 दिनांक 25.04.2019 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत विद्यालय के मान्यता के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि बद्री नारायण साहा, डी०ए०वी० पब्लिक स्कूल, गिरिडीह का मान्यता संबंधी आवेदन RTE Portal के माध्यम से कार्यालय को प्राप्त हुआ है। उक्त प्राप्त आवेदन के आलोक में स्पष्ट करना है कि मान्यता विस्तार से संबंधित निर्णय आगामी जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति, गिरिडीह की बैठक में लिया जाएगा।

विश्वासभाजन

जिला शिक्षा अधीक्षक,  
गिरिडीह।  
12/08/2014



कार्यालय—जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह।  
तृतीय तल्ला (बायर्ड विंग) समाहरणालय भवन, पपरवाटोड, गिरिडीह – 815301,

पत्रांक १५८ /

प्रेषक,

जिला शिक्षा अधीक्षक,  
गिरिडीह।

सेवा में,

प्रबंधक / अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य,  
बद्री नारायण साहा डी०ए०वी० पब्लिक स्कूल, ब्लॉक रोड,  
सिरसिया, गिरिडीह, पिन-815302

गिरिडीह, दिनांक ०८ / ०६ / २०२३

विषय:-

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए, झारखण्ड नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियमावली 2011 के नियम के अधीन एवं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) झारखण्ड, रॉची के अधिसूचना ज्ञापांक-629, दिनांक-25.04.2019 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत विद्यालय के मान्यता के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि आपके विद्यालय बद्री नारायण साहा डी०ए०वी० पब्लिक स्कूल, गिरिडीह की मान्यता हेतु प्राप्त आवेदन पत्र के आलोक में जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति, गिरिडीह की आगामी बैठक में मान्यता दी जायेगी।

विश्वासभाजन

*Chayum*  
८/६/२०२३

जिला शिक्षा अधीक्षक,  
गिरिडीह।

प्रेषक,

जिला शिक्षा अधीक्षक,  
गिरिडीह।

सेवा में,

प्रबंधक/अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य  
बद्री नारायण साहा डी.ए.बी. पब्लिक स्कूल, गिरिडीह,  
गिरिडीह।

विषय:-

नि: शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए, झारखण्ड नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम के अधीन एवं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) झारखण्ड, राँची के अधिसूचना ज्ञापांक-629 दिनांक-25.04.2019 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि निजी विद्यालयों की मान्यता हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के आलोक में जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति, गिरिडीह की बैठक दिनांक-29.09.2020 को प्राप्त प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोंपरान्त समिति के द्वारा आपके विद्यालय बद्री नारायण साहा डी.ए.बी. पब्लिक स्कूल, गिरिडीह को शैक्षणिक सत्र 2020-21 से कक्षा 1 से 8 तक के लिए विभागीय शर्तों के अनुसार औपबंधिक रूप से तीन वर्षों के लिए मान्यता प्रदान की जाती है। आपके विद्यालय को छ: माह के अन्दर सभी विभागीय शर्तों को अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा, अन्यथा मान्यता वापस ले ली जाएगी तथा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

उपरोक्त मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:-

1. इस मान्यता में किसी भी रूप में कक्षा-08 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता निहित नहीं है।
2. विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, झारखण्ड नि:शुल्क और, अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के उपबंधों को एवं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) झारखण्ड, राँची के अधिसूचना ज्ञापांक-629 दिनांक-25.04.2019 में उल्लेखित प्रावधानों का अक्षरशः पालन किया जाए।
3. विद्यालय अपनी प्रथम कक्षा में उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पडोस के कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा, और उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. उक्त कंडिका-3 में उल्लेखित बालकों ले लिए, विद्यालय की अधिनियम की धारा-12 की उपधारा (2) के तहत प्रातिपूतत राशि हेतु विद्यालय एक अलग बैंक खाता संधारित करेगा।
5. विद्यालय किसी भी प्रकार से बच्चों या उनके अभिभावक से कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा और विद्यालय में नामांकन हेतु किसी बालक या उसके माता-पिता या अभिभावक का किसी प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं लेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत नहीं होने के कारण, प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और ऐसे स्थिति में अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन किया जायेगा।
7. विद्यालय निम्नलिखित बिन्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित करेगा:-
  - i. प्रवेश दिये गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कारित नहीं किया जायेगा।
  - ii. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक दंड नहीं दिया जायेगा।

- iii. प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
- iv. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधान के आलोक में प्रमाण—पत्र प्रदान किया जाएगा।
- v. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।
- vi. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन घोषित सक्षम प्राधिकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम अहर्ताएँ के अनुरूप किया जायेगा तथा जिनके पास उस निर्धारित न्यूनतम अहर्ता, अधिनियम, 2009 के लागू होने के समय नहीं हैं, पांच वर्ष के भीतर ऐसी न्यूनतम अहर्ताएँ अर्जित कर लेंगे।
- vii. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन उल्लेखित अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे; और
- viii. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- 8. विद्यालय राज्य प्राधिकार द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा उल्लेखित विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाए रखेगा।
- 10. विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर—मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
- 11. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा—स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।
- 12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाएगा।
- 13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर अकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष, जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जायेगी।
- 14. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और जानकारी प्रस्तुत करेगा जो समय—समय पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाये।
- 15. विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत इसी सोसाईटी द्वारा या तत्समय प्रवृत् किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जायेगा। सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जायेगा।

आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक **RD-17** है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख किया जाये।

*[Signature]*  
जिला शिक्षा अधीक्षक,  
गिरिडीह।  
२५/०१/२०२०